

Order Sheet [Contd]

Case No 194 / 2017 बी.ए

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-----------------------------|--|--|
| | <p>22.05.2017</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।</p> <p>आवेदक/आरोपी आजाद खॉ की ओर से अधिवक्ता श्री सतीशचंद्र मिश्रा द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिए जाने बावत् पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश किया जाना प्रकरण आज शीघ्र सुनवाई में लिया जावे।</p> <p>विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया जाता है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त कृष्णा की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पर उभय पक्षों को सुना गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मौ द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है जिससे उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। अभियोक्त्री 18 वर्षीय महिला है जो कि मेडीकल रिपोर्ट से भी पुष्ट होती है। घटना की रिपोर्ट बिलम्ब से की गई है और अभियोक्त्री के धारा 161 व धारा 164 जा0फौ0 के कथनों में भिन्नता है। आवेदक/आरोपी दिनांक 25.03.2017 से न्यायिक निरोध में है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया गया है कि अभियोक्त्री 18 वर्ष से अधिक आयु की है और मामला सहमति का है और केवल जरिजिन के द्वारा देखे जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक दिन का बिलम्ब है। प्रकरण में वलपूर्वक बलात्संग किया जाना दर्शाया गया है, जबकि एक व्यक्ति एक महिला के साथ जिन परिस्थितियों में बलात्संग अभिकथित किया जाना दर्शाया गया है नहीं कर सकता है और अभियोक्त्री के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गई है।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोक्त्री की माँ के द्वारा लेख कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जब वह घर पर बापस आई तो उसकी पुत्री घर पर नहीं थी और कुछ ही दूरी पर लडकी के चिल्लाने की आवाज आई और वहाँ जाकर देखा तो छिडिया में चोतरा पर आरोपी आजाद था तो वह अपनी पुत्री को लेकर आ गई थी, तब उसने घटना बताई थी।</p> <p>प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की ओर से अभियोक्त्री की आयु के संबंध में प्रवेश पंजी की प्रति पेश की गई है जिसमें अभियोक्त्री की जन्मदिनांक 04.03.2007 लेख है। अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया है, जिसमें अभियोक्त्री की उम्र 17, 18 वर्ष के बीच की दर्शाई गई है। प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा आवेदक/अभियुक्त पर घर के पास वल पूर्वक संभोग कारित करने का आरोप है। अभियोक्त्री की आयु क्या है, यह गुणदोष का विषय है और इस स्टेज पर कोई टीका नहीं की जा सकती है, किन्तु लगाए गए आरोप के स्वरूप उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> | |

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।
प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेतु दिनांक 01.06.2017 को पेश हो।

वीरेन्द्रसिंह राजपूत
ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)